न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा

धारा 16(3) अन्तर्गत अग्रक्रय अपीलवाद संख्या–61/2019

दिवाकर चौधरी उर्फ कोमलकान्त चौधरी –बनाम– श्रीमती मिन्टु झा

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
30/8/2019	**आदेश** प्रस्तुत वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर दरभंगा के अग्रक्रय (Pre-emtion) वाद सं0–04/2018–19 (दिवाकर चौधरी उर्फ कोमलकान्त चौधरी –बनाम– श्रीमती मिन्टु झा) में दिनांक 01.02.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी दिवाकर चौधरी उर्फ कोमलकान्त चौधरी द्वारा दायर किया गया है। सामान्य अनुक्रम में वाद प्रतिग्रहण के बिन्दु पर अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के द्वारा धारा 16(3) के अधीन अग्रक्रय से संबंधित वाद सं0–04./2018–19 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर दरभंगा के न्यायालय में दायर किया गया। उक्त वाद में पारित आदेश दिनांक 01.02.2019 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा वर्त्तमान वाद दायर किया गया है। उल्लेखनीय है कि भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम–1962 की धारा 16(3) को विधि विभाग की अधिसूचना सं0–एल0जी0–01–15/2018/1569/लेज दिनांक 25.02.19 के माध्यम से तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त एवं संशोधित करते हुए अग्रक्रयाधिकार के दावा को उपशमित कर दिये जाने का निदेश प्राप्त है। अतः उपरोक्त विभागीय निदेश के आलोक में अपीलार्थी का अग्रक्रय का अधिकार उपशमित करते हुए इस वाद की कार्यवाही को समाप्त की जाती है। अपीलार्थी प्रस्तुत वाद के उपशमित होने के फलस्वरूप जमा की गयी राशि को सक्षम प्राधिकार से प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र हैं। लेखापित एवं संशोधित। समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा। समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा।	